रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2002.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 2 सितम्बर, 2002/11 भाद्रपद, 1924

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

बिलासपुर, 20 अगस्त, 2002

संख्या बी एल पी-पंच-38/68-II.—जैसा कि श्री नन्द लाल, प्रधान ग्राम पंचायत छत, विकास खण्ड झंडूता, जिला बिलासपुर, (हि० प्र०) के विरूद्ध एक शिकायत पत्र प्राप्त हुआ था कि उन्होंने अपने पद का दुरूपयोग एवं अनुचित दबाव डालकर ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी से प्रस्ताव संख्या-8, दिनांक 26-5-2001 ग्राम पंचायत की कार्यवाही बन्द होने के उपरान्त दर्ज करवाया और अपनी माता श्रीमती जानकी देवी के नाम मु० 40,000/- रु० की राशि ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत ऋण के रूप में स्वीकृत करवाई । साथ ही यह भी शिकायत की थी कि श्री नन्द लाल, प्रधान द्वारा अनुचित तौर पर अपनी पत्नी श्रीमती सोमा देवी को आंगनबाड़ी केन्द्र अन्दरोली में कार्यकर्ता नियुक्त किया गया ।

2. जैसा कि प्रारम्भिक जांच एवं कारण बताओ नोटिस के उत्तर में तथ्य सामने आये हैं, उनके आधार पर यह आवश्यक समझा गया है कि श्री नन्द लाल, प्रधान ग्राम पंचायत छत, विकास खण्ड झण्डूता के विरूद्ध नियमित जांच अति आवश्यक है, तथा यह भी आवश्यक है कि उन्हें तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाये ताकि वह अपने पद का अनुचित प्रयोग करके जांच को प्रभावित न कर सके ।

3. अतः मैं, सोहन लाल सैनी, जिला पंचायत अधिकारी, बिलासपुर (हि0 प्र0) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145(2) तथा हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 142 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री नन्द लाल, प्रधान ग्राम पंचायत छत, विकास खण्ड झण्डूता जिला बिलासपुर (हि0 प्र0) को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करता हूं और यह आदेश देता हूं कि यदि उनके पास पंचायत छत का कोई भी अभिलेख, धन, चल एवं अचल सम्पति हो तो तुरन्त उसे ग्राम पंचायत एवं बिकास अधिकारी छत को सौंप दें ।

एस0 एल0 सैनी,
जिला पंचायत अधिकारी,
जिला बिलासपुर, (हि0प्र0) ।

कार्यालय उपायुक्त सोलन, सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

कारण बताओ नोटिस

सोलन, 24 अगस्त, 2002

संख्या सोलन-3-76(पंच)/2002-6909.—यह कि श्री लक्ष्मीदत्त सदस्य दधोग, के ग्राम पंचायत पड़ग, विकास खण्ड सोलन, जिला सोलन (हि0 प्र0) का ध्यान हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 के खण्ड (ण) की ओर आकृष्ट किया जाता है जो कि निम्नत है ।

(ग) यदि उसके दो से अधिक जीवित सन्तान है । परन्तु खण्ड (ण) के अधीन निरहर्ता उस व्यक्ति को लागू नहीं होगी जिसके यथा स्थिति हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2002 के प्रारम्भ होने के तारीख पर या ऐसे प्रारम्भ के एक वर्ष की अवधि के भीतर दो से अधिक जीवित सन्तान है । जब तक एक वर्ष की अवधि के पश्चात् और सन्तान नहीं होती ।

अतः क्योंकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000, 8 जून, 2002 को लागू हो चुका है तथा धारा 122 के खण्ड (ण) का प्रावधान 8 जून 2001 से प्रभावी होता है ।

यह कि खण्ड विकास अधिकारी सोलन, ने अपने पत्र संख्या वी(20)/2001-(निर्वाचन) पंच-1781 दिनांक 29-7-2002 द्वारा सूचित किया है कि श्री लक्ष्मीदत्त, सदस्य दधोग, ग्राम पंचायत पड़ग, विकास खण्ड सोलन (हि0 प्र0) के 8 जून, 2001 के पश्चात् दो से अधिक तीसरी सन्तान दिनांक 7-5-2002 को हुई है । जिसके कारण वह हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1)(ण) के प्रावधान अनुसार सदस्य के पद पर बने रहने के अयोग्य हो गए हैं ।

अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि आप इस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर-भीतर लिखित रूप में अपना पक्ष प्रस्तुत करें कि उपरोक्त वर्णित अयोग्यता के दृष्टिगत क्यों न आपके विरूद्ध हिमाचल प्रदेश पचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131(1)(क) के अधीन कार्यवाही अमल में लाई जाये ।

सोलन, 24 अगस्त, 2002

संख्या: सोलन-3-76(पंच)/2002.—यह कि श्री प्रताप सिंह, उप-प्रधान ग्राम पंचायत मटेरनी, गांव कल्याणा, डा0 मटेरनी, विकास खण्ड कुनिहार, जिला सोलन (हि0 प्र0) का ध्यान हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 के खण्ड (ण) की ओर आकृष्ट किया जाता है जो कि निम्नत है :—

(ग) यदि उसके दो से अधिक जीवित सन्तान हैं । परन्तु खण्ड (ण) के अधीन निरहर्ता उस व्यक्ति को लागू नहीं होगी जिसके यथा स्थिति हि0 प्र0 पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 के आरम्भ होने की तारीख

पर या ऐसे प्रारम्भ के एक वर्ष की अवधि के भीतर दो से अधिक जीवित सन्तान हैं । जब तक एक वर्ष की अवधि के पश्चात् और सन्तान नहीं होती ।

अतः क्योंकि हि0प्र0 पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000, 8 जून, 2001 को लागू हो चुका है तथा धारा 122 के खण्ड (ण) का प्रावधान 8 जून, 2001 से प्रभावी होता है ।

यह कि खण्ड विकास अधिकारी, कुनिहार ने अपने पत्र के0 बी0 (पंच) 106/2002-2300, दिनांक 31 जुलाई, 2002 तथा निदेशक, पंचायती राज विभाग, के पत्र संख्या पीसीएच-एचए(2)1/98-24297, दिनांक 12 जुलाई, 2002 द्वारा सूचित किया है कि श्री प्रताप सिंह, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत मटेरनी, गांव कल्याणा, डा0 मटेरनी, विकास खण्ड कुनिहार, जिला सोलन, (हि0प्र0) के 8 जून 2001 के पश्चात दो से अधिक तीसरी सन्तान दिनांक 19-6-2002 को हुई है । जिसके कारण वह हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) (ण) के प्रावधान अनुसार उप-प्रधान, के पद पर बने रहने के अयोग्य हो गये है ।

अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि आप इस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर-भीतर लिखित रूप में अपना पक्ष प्रस्तुत करें कि उपरोक्त वर्णित अयोग्यता के दृष्टिगत क्यों न आपके विरुद्ध हि0प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (1) (क) के अधीन कार्यवाही अमल में लाई जाए ।

हस्ताक्षरित/-
उपायुक्त सोलन, जिला सोलन, (हि0प्र0) ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।